Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 36-2019/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, FEBRUARY 23, 2019 (PHALGUNA 4, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 23rd February, 2019

No. 13-HLA of 2019/17/3995.— The Punjab Excise (Haryana Validation) Bill, 2019, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 13- HLA of 2019

THE PUNJAB EXCISE (HARYANA VALIDATION) BILL, 2019

A

BILL

to validate orders issued, actions taken and acts done under notification No. 7/X-1/P.A.1/1914/S.59/2017, dated the 29th March, 2017 issued under section 59 of Punjab Excise Act, 1914, in its application to the State of Haryana.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Punjab Excise (Haryana Validation) Act, 2019. Short title.

2. All orders made, actions taken and acts done under the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 7/X-1/P.A.1/1914/S.59/2017, dated the 29th March, 2017, issued in exercise of the powers conferred by section 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914) shall be deemed to be and always deemed to have been validly made, taken and done as if the said notification had been issued under section 58 of the said Act and accordingly- Validation.

(i) all orders made, actions taken and acts done by the Government or by any Officer of the Government shall, for all purposes, be deemed to be, and always deemed to have been made, taken and done in accordance with law and shall not be called in question before any court of law;

(ii) no suit or other proceedings shall be maintained or continued in any court or before any authority.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the Excise Policy for the year 2017-18, as approved by the Council of Ministers, Haryana, it was laid that there would be one L1BF licensee in the State for which reserved price of Rs. 50 crore was fixed. Like earlier orders, a notification dated 29th March, 2017 was issued in exercise of his powers under Section 59 of the Punjab Excise Act 1914 by the ETC to bring the necessary changes in the Haryana Liquor License Rules 1970, as per the Excise Policy approved by the Council of Ministers. A writ petition filed against this notification issued by the Excise Commissioner was dismissed by the High Court. Subsequently, in the SLP, the Supreme Court through a majority decision held the said notification by Excise Commissioner as ultra vires while holding that the powers to issue this Notification are vested in the State Government under Section 58(2) read with Section 6 of the Punjab Excise Act 1914. It was observed that to save the acts undertaken by the Haryana Government in pursuance of the Excise and Taxation Department, Notification No. 7/X-1/P.A.1/1914/S.59/2017 dated 29th March, 2017 retrospectively, the object in view can be achieved by way of Principal Legislation, i.e., a Validation Act whereby all the orders made, proceedings taken and acts done in pursuance of the above referred notification issued by the Excise and Taxation Commissioner shall for all purposes be deemed to be, and to have always been done and are taken in accordance with law and shall not be called in question before any Court of Law.

Hence, the Bill.

CAPTAIN ABHIMANYU,
Excise and Taxation Minister,
Haryana.

———————

Chandigarh:
The 23rd February, 2019.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2019 का विधेयक संख्या 13-एच०एल०ए०

पंजाब आबकारी (हरियाणा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2019
पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914, हरियाणा राज्यार्थ, की धारा 59 के अधीन जारी अधिसूचना संख्या 7/आ01/पं0अ01/1914/धा059/2017, दिनांक 29 मार्च, 2017 के अधीन जारी किए गए आदेशों, की गई कार्रवाईयों तथा किए गए कार्यों को विधिमान्य करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम पंजाब आबकारी (हरियाणा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जारी की गई हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 7/आ01/पं0अ01/1914/धा059/2017, दिनांक 29 मार्च, 2017 के अधीन किए गए सभी आदेशों, की गई कार्रवाईयों तथा किए गए कार्यों को इस प्रकार विधिमान्य रूप में किए गए, की गई तथा किए गए समझे जाएंगे तथा सदैव किए गए, की गई तथा किए गए समझे जाएंगे मानो उक्त अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 58 के अधीन जारी की गई थी तथा तदनुसार– विधिमान्यकरण।

(i) सरकार द्वारा या सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किए गए सभी आदेश, की गई कार्रवाईयां या किए गए कार्य, सभी प्रयोजनों के लिए, विधि के अनुसार किए गए, की गई तथा किए गए समझे जाएंगे तथा सदैव किए गए, की गई तथा किए गए समझे जाएंगे तथा विधि के किसी न्यायालय के सम्मुख प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे ;

(ii) कोई भी वाद या अन्य कार्यवाहियां किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण के सम्मुख चलाई या जारी नहीं रखी जाएंगी।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

वर्ष 2017–18 के लिए आबकारी नीति में, जैसा कि मंत्रिपरिषद, हरियाणा द्वारा अनुमोदित किया गया था, यह निर्धारित किया गया था कि राज्य में एक एल–1 बी०एफ० लाईसेंसधारी होगा, जिसके लिए 50 करोड़ रूपये आरक्षित मूल्य तय किया गया था। पहले के आदेशों की तरह हरियाणा शराब लाईसेंस नियम, 1970 में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए ETC द्वारा पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914 की धारा 59 के तहत उसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 29 मार्च, 2017 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जो मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित आबकारी नीति के अनुसार थी। आबकारी आयुक्त द्वारा जारी इस अधिसूचना के खिलाफ दायर एक याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद, SLP में, सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के निर्णय के माध्यम से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिकारातीत रूप में उक्त अधिसूचना को धारण किया, जबकि यह अधिसूचना जारी करने की शक्तियां धारा 58 (2) जो पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 के धारा 6 के साथ पढ़ी जाती है के तहत राज्य सरकार के पास निहित है। यह देखा गया कि आबकारी और कराधान विभाग की अधिसूचना 7/X-1/PA1/1914/S.59/2017 दिनांक 29 मार्च, 2017 के अनुसरण में हरियाणा सरकार द्वारा किए गए कृत्यों को पूर्वव्यापी रूप से बचाने के लिए प्रधान विधान अर्थात, एक वैधता अधिनियम, जिसके द्वारा किए गए सभी आदेश, की गई कार्रवाईयां या किए गए कार्य, सभी प्रयोजनों के लिए, विधि के अनुसार किए गए, की गई तथा किए गए समझे जाएंगे तथा सदैव किए गए, की गई तथा किए गए समझे जाएंगे तथा विधि के किसी न्यायालय के सम्मुख प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे।

अतः यह विधेयक।

कैप्टन अभिमन्यु,
आबकारी व कराधान मंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़ः
दिनांक 23 फरवरी, 2019.

आर० के० नांदल,
सचिव।

56887—H.V.S.—H.G.P.,Chd.